नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		28-2-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली आगन्दा वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 28.3.18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा	
		28/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील मण्डल के रवि. बार एसोसियेशन के चुनाव होने से वकील विरत रहने का अनुरोध किया है अतः वास्ते जारी कोरम श्रीमान के दिनांक 4.4.2018 को पेश हो।	
		4.4.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप-स्थित रहे पुनः एक मौका चाहा गया जारी दिनांक 18.4.2018 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा	
	18/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. बहस हेतु पुनः एक अवसर चाहने पर दिया जाकर पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर/कैम्प कोर्ट-उन्दरा में दिनांक-23/5/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा	जलाल खान P.R. Som
	23-5-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र-उन्दरा में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत श्री जलाल खां, हकीम खाँ वगैरह ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उन्दरा प.स. उन्दरा में उनके खसरा नं. 225 व 226 स्थित है, जो उनके नाम खातेदारी से दर्ज है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक... जो इस हुक्म की ता... में जारी हुए
	आदेश प्रदान करावे। प्रा.पत्र दिनांक 5-7-16 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये थे। दि. 8-3-17 को अप्रार्थी संख्या-1 परेश कुमार ने जवाब प्रस्तुत किया उसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (अप्रार्थी क्र. 2) की रिपोर्ट उनके पत्र क्र. 397 दि 20-3-17 से प्राप्त हुई उसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने प्रतिउत्तर मे बताया की प्रार्थी ने जहाँ से रास्ता चाहा है वह उसकी खातेदारी के एकदम बीच मे निकलता है तथा मेरी जमीन को दो टुकडे मे बांट देता है। अत: प्रार्थी द्वारा चाहे गये जगह से रास्ता देना सम्भव नही है। अप्रार्थी सं. 1 ने उसके खसरा नम्बर-216/1 के किनारे 15 feet का रास्ता संलग्न नक्शानुसार बना रखा है, वह देने को तैयार है। लेकिन मेरी भूमि के दो टुकडे नही किये जावे। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब मे प्रार्थी के चाहे अनुसार रास्ते देने को उचित बताते हुए अनुशंषा की है। प्रार्थी जलाल खां व प्रतिवादी परेश कुमार उपस्थित है। अप्रार्थी परेश कुमार ने लिखित मे और जवाब प्रस्तुत किया है उसे भी शामिल मिसल किया गया। परेश कुमार का कथन है कि भूमि 216/1 रकबा 5-00 बीघा मैंने प्रार्थी जलाल खां से ही खरीदी थी और यह उन्हे भूमि बेचते समय ध्यान रखना था, कि वह कहां से आयेगा-जायेगा। अत: रास्ता	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

न अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाड़ा (सिरोही)

.... बनाम श्री ....

मुकदमा .... नम्बर .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा सं. २२५, २२६, जलाल खां की खातेदारी भूमि है तथा ख.नं. २३१ इन्ही के जाति समुदाय के खेत है वहां से इनका वर्तमान मे आना जाना हो रहा है। अतः २३१ से ही रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। प्रार्थी मुझे परेशान करने के लिये ही मेरी भूमि के मध्य से रास्ता चाह रहा है। प्रार्थी ने कथन किया कि उसकी खातेदारी भूमि मे आने जाने का रास्ता उपलब्ध नही है, तथा खातेदारी मे हमारे चाह अनुसार ही रास्ता उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी जलाल खां ने स्वीकार किया है कि २२६/१ की भूमि अप्रार्थी परेशकुमार को उन्होने ही विक्रय की है। मैंने दोनो पक्षकारो के बहस व प्रस्तुत जवाबो का अवलोकन किया यह सही है की अप्रार्थी ने अपनी भूमि विक्रय की तदनुसार रास्ता छोडकर विक्रय कर सकता था। यह भी सही है कि प्रार्थी जहां से रास्ता चाह रहा है, वो अप्रार्थी की भूमि की सीमा पर नही चाहकर मध्य से चाह रहा है, जिसके अनावश्यक रूप से अप्रार्थी की 1 भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हु
	यह समझ से परे है। प्रार्थी के चाहे गये जगह पर रास्ता उपलब्ध करवाने से अप्रार्थी क्र. 1 को अतिव रूप से नुकसान होगा। अप्रार्थी का यह कथन भी उचित ही प्रतीत होता है कि प्रार्थी को हमें भूमि रास्ता छोड़ते हुए बेचनी चाहिये थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के चाहे अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने से अप्रार्थी के भूमि का अनावश्यक रूप से दो टुकड़े हो जायेंगे तथा भूमि प्रार्थी ने ही बेची है जहाँ से रास्ता चाहा गया है अतः मैं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पर्याप्त आधारों पर नहीं मानता हूँ तथा एकमात्र रास्ता यही है, यह प्रमाणित नहीं पाये जाने के प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर, [illegible]	